इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3063

20 दिसम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत में वृद्धि

3063. श्री अविनाश पांडे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत वर्ष 2005 में प्रति व्यक्ति 2 किलोग्राम से 6 वर्षों में 5 गुना बढ़कर 2011 में प्रति व्यक्ति 9.8 किलोग्राम हो गई है;

(ख) इसने सरकारी इस्पात कंपनियों के व्यवसाय को किस प्रकार प्रभावित किया है;

(ग) क्या निजी कंपनियों की तरफ में प्रतिस्पर्धा में काफी वृद्धि हुई है; और

(घ) आपूर्ति किए जाने वाले इस्पात की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

(क) जी, हां।

(ख) स्टील संयंत्रों का विस्तार भारत में विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र के विकास द्वारा संचालित स्टील की खपत में होने वाली वृद्धि पर अधिकाधिक निर्भर करता है। चूंकि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में खपत को बढ़ाने की विशाल संभावनाएं मौजूद हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि ग्रामीण भारत में स्टील की प्रति व्यक्ति खपत 1 किलोग्राम बढ़ाने के परिणामस्वरूप देश में स्टील की खपत प्रति वर्ष 1 मिलियन टन बढ़ जाएगी।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) ने अपने वितरण नेटवर्क में विस्तार करने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खपत वाले अपने उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से देश में अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार किया है। इसके अतिरिक्त, सेल ने वर्ष 2011-12 के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों (ब्लॉक/ताल्लुका) में अपने व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक नई 'सेल रूरल डीलरशिप स्कीम' आरंभ की है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ब्लॉक और ताल्लुका स्तर पर छोटे ग्रामीण उपभोक्ताओं की स्टील संबंधी मांगों को पूरा करना है।

(ग) स्टील एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न स्टील संयंत्रों और निजी क्षेत्र की स्टील कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निजी कंपनियों यथा टाटा स्टील, एस्सार स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, इस्पात इंडस्ट्रीज, लॉयड स्टील इत्यादि से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में कुछ स्टील कंपनियों ने वर्ष 2011-12 और वर्तमान वर्ष के दौरान नई क्षमताएं जोड़ी हैं और कुछ कंपनियां अपनी क्षमताओं का विस्तार करने में प्रक्रियारत है। इसके अतिरिक्त, देश में स्टील के सभी बड़े उत्पादकों के पास खुदरा बिक्री करने की रणनीति मौजूद है और वे दूर-दराज क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। कुछ छोटे उत्पादक भी अपना स्वयं का खुदरा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और इसलिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

(घ) सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट, 1986 के तहत जारी 'स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर' के अंतर्गत स्टील के 16 उत्पादों को अधिसूचित किया है। यह आर्डर 9 मानकों के तहत शामिल सभी उत्पादों पर पहले ही लागू किया जा चुका है, और 5 अन्य भारतीय मानकों के तहत शामिल उत्पादों पर आंशिक रूप से लागू किया गया है। शेष 2 मानकों के तहत शामिल उत्पादों के साथ बाकी बचे उत्पादों पर 31.3.2013 से लागू होगा।

सरकार ने सितम्बर, 2012 में संशोधित स्टील एंड स्टील प्रोडक्ट्स (क्वालिटी कंट्रोल) आर्डर भी जारी किया है जिसके अनुसार कोई भी निर्माता ऐसे स्टील और स्टील उत्पादों का बिक्री अथवा वितरण हेतु निर्माण, आयात और भंडारण नहीं कर सकता जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं और जिनमें मानक चिन्ह् (बीआईएस अथवा आईएसआई चिन्ह्) अंकित नहीं हैं।

****